न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 55/2022

GCMS No.—2022/116

1. गुलाबचंद
2. श्योदान } पुत्रान स्व श्री बद्री
3. मूलचंद पुत्र स्व. श्री कालू

} जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सामरेड खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती लाडा देवी धर्मपत्नी श्री गिरधारी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम सामरेड खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. श्री रेवड पुत्र श्री रामु
3. श्री भागीरथ पुत्र श्री रामु
4. श्री बंसी पुत्र श्री रेवड
5. श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री बद्री

} जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सामरेड खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 08.02.2022 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 उनवानी लाडा देवी बनाम रेवड व अन्य अंतर्गत धारा 183 बी स्वीकार किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता भौरीलाल शर्मा उपस्थित।
3. रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपेन्द्र सिंह उपस्थित।
4. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांकः 15.11.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 बउनवानी लाडा बनाम रेवड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.08.2022 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री भौरीलाल शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपेन्द्र सिंह उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–4 की ओर से पैरोकार सरकार

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 तथा पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को तथा खसरा नंबर 183 के सीमाजोड खसरा नंबर 178, 180, 182 एवं 184/1 के खातेदारों को ना तो प्रकरण में पक्षकार बनाया और ना ही उन्हें अन्यथा ही सूचित कर पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया तथा विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धांतो एवं बाध्यकारी प्रावधानों को कतई नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया है। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आवेदन क साथ जमाबंदी एवं नक्शा शीट का अवलोकन किये बिना आवेदन में अंकित रेस्पा0 प्रारूपिक रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 को ही विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए नोटिस प्रसारित कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी एवं नक्शा शीट के अवलोकन मात्र से ही कतई विधि विरूद्ध होना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के तीन ओर के खातेदारों के पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा विवादित भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी करवाए बिना ही निर्णय पारित किया है कि रेस्पा0 संख्या 1 की भूमि पर प्रारूपिक रेस्पा0 2 लगायत 5 ने ही अतिक्रमण किया है जबकि वास्तविकता में रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 खसरा नंबर 178 रकबा 10.40 हैक्टेयर के दक्षिणी भू भाग पर काबिज है किन्तु रेस्पा0 संख्या 1 ने आपस में साज कर भूमि विवादग्रस्त खसरा नंबर 183 के सीमा जोड खातेदारों वर्तमान अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया। अपीलांट्स की बिना सहमति के विवादित भूमि पर सीमा ज्ञान की कार्यवाही की गयी है। अपीलांट्स जो कि खसरा नंबर 178 के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नंबर 183 के दक्षिणी एवं खसरा नंबर 178 के उत्तरी कोने से लगते हुए भू भाग पर अपनी ही खातेदारी की भूमि पर काबिज है, को बिना किसी आधार, पक्ष, सुनवाई का अवार दिये बेदखल करने के आदेश पारित किये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2021 बउनवानी लाडा बनाम रेवड में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2022 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक की ओर से कथन किया गया कि रेस्पा. संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183 कुल रकबा 0.76 है0 ग्राम सामरेड खुर्द में स्थित है। रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 ने अपीलांट की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसका उसको कोई हक व अधिकार नहीं था। जिसके संबंध में रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 08.02.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्य उचित नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष एवं पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पा. संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183बी अर्न्तगत राज0 काश्तकारी अधि0 स्वीकार किया जाकर रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 को खसरा नंबर 183 से बेदखली के आदेश दिनांक 08.02.2022 को पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलांट खसरा नंबर 183 के सीमाजोड खातेदार है। पत्रावली पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट्स अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 0.76 हैक्टेयर वाके ग्राम सामरेड खुर्द के सीमाजोड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित तथ्यों अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके की अतिक्रमण/कब्जे की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 183 के मौके पर उपस्थित मुतबिरान से पूछताछ पर पाया गया कि उक्त भूमि पर रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 काबिज है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि का सीमा ज्ञान नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा भी अपीलाधीन भूमि के संबंध में विस्तृत जांच रिर्पोट पेश नहीं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

की गयी। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के सीमा जोड खातेदार होते हुए अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत बेदखली की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 बउनवानी लाडा बनाम रेवड में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि वह प्रकरण को निर्णय प्राप्ति उपरान्त पुनः दर्ज कर पक्षकारान को नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच कानूनी प्रावधान तथा प्रकिया अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर